संख्या-86/2020/1441/26-3-2020

प्रेषक,

मनोज सिंह,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर,

देवरिया, मऊ, आजमगढ, जौनपुर, बलिया,

गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर व सोनभद्र।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 17 जून 2020

विषय: **प्रदेश के धुरिया जाति के व्यक्तियों को नियमानुसार अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि भारत सरकार के राजपत्र अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जन जातियों की सूची के क्रमांक-6 पर गोंड एवं उसकी पर्याय जातियां यथा धुरिया, नायक, ओझा, पठारी व राजगोंड जनपद महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर तथा सोनभद्र में सूचीबद्ध है। इस प्रकार प्रदेश की धुरिया जाति कतिपय उक्त 13 जनपदों में अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित है।

2- शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के उक्त कतिपय 13 जनपदों में जिला प्रशासन द्वारा बिना अभिलेखों की जांच करे हुए धुरिया अनुसूचित जनजाति के लोगों के आवेदन पत्र 1356 व 1359 फसली अभिलेखों के आधार पर ही उन्हें कहार अन्य पिछड़ा वर्ग का बताते हुए निरस्त कर दिया जा रहा है, जिससे धुरिया अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को नियमानुसार अनुसूचित जनजाति का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

3- उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जनपद की धुरिया जाति जो कि प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित है, को नियमानुसार अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करते समय साक्ष्य के तौर पर आस-पास के निर्विवादित परिवारों से स्थलीय पूछताछ/जांच पड़ताल, कुटुम्ब रजिस्टर, शैक्षिक संस्थाओं (स्कूटनी/विद्यालय के टी.सी./प्रमाण पत्रों, आदि को आधार बनायें, मात्र 1359, 1356 फसली के अभिलेखों के आधार पर ही निर्णय न लें।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-86/2020/1441(1)/26-3-2020-तददिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद उ0प्र0, आयुक्त व सचिव राजस्व परिषद उ0प्र0।

2- मण्डलायुक्त, बस्ती/गोरखपुर/आजमगढ़/वाराणसी/मिर्जापुर मण्डल।

3- निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।